द्वारा प्रति नकल

न्यायालय उप जिलाधिकारी नवाबगंज, बरेली।

वाद संख्या टी– /उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत

2018121304002338

कृष्णपाल गंगवार बनाम सरकार

ग्राम खाईखेडा परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बरेली।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कृष्णपाल गंगवार पुत्र छेदा लाल नि0 बढैपुरा निकट खोह तहसील नवाबगंज जिला बरेली के प्रार्थना पत्र पर योजित किया गया। जिसमें उन्होने प्रार्थना की है कि आराजी भूमिधर स्थित खाईखेडा गाटा सं0 459 रकवा 0.127हे0 व गाटा सं0 460 रकवा 0.127हे0, गाटा सं0 461 रकवा 0.126हे0 व गाटा सं0 462 रकवा 0.383हे0 रजिस्ट्री वैनामा क्रय की है व गाटा सं0 463 रकवा 0.126हे0 प्रार्थी को दान पत्र के द्वारा प्राप्त हुई है। सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी काबिज व दखल है। भूमि के रजिस्र्ट वैनामा व दानपत्र के आधार पर न्यायालय नायव तहसीलदार नवाबगंज के द्वारा प्रार्थी का नाम दाखिल खारिज किया जा चुका है। उपरोक्त आराजी की भूमिधरी की खतौनी साथ संलग्न है। उपरोक्त आराजी खरीदने एवं दान में प्राप्त करने के उपरान्त आज तक उसमें कोई कृषि कार्य नहीं किया गया है। समस्त भूमि मौके पर खाली पड़ी है तथा कृषि कार्य के प्रयोजन में नहीं आ रही है। अतः प्रार्थना पत्र है कि ग्राम खाईखेड़ा परगना व तहसील नवाबगंज जिला बरेली की आराजी भूमिधरि उपरोक्त गाटा संख्याओं को आकृषक घोषित करने की कृपा की जाये।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नवाबगंज से आख्या मांगी गई। तहसीलदार, नवाबगंज में अपनी आख्या दिनांक 12.02.2018 में अंकित किया है कि ग्राम खाई खेड़ा परगना एवं तहसील नवाबगंज जिला बरेली में गाटा सं0 459/0.127, 460/0.127, 461/0.126, 462/0.383 पर सम्पूर्ण भाग व 463 रकवा 0.252हे0 का 1/2 भाग पर कृतिका चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष कृष्णपाल पुत्र छेदालाल नि0 ग्राम वढ़ैपुरा निकट खोह परगना एवं तहसील नवाबगंज जिला बरेली हाल नि0 कोपल अस्पताल पीलीभीत वाईपास सुरेश शर्मा नगर बरेली के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है तथा उपरोक्त भूमि पर दखील व काबिज है। वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर निमार्ण कार्य प्रगति पर है। निबन्धक सूची के अनुसार सर्किल रेट का 1 प्रतिशत 39337/– राजकोष में जमा करने के उपरान्त ग्राम खाईखेड़ा परगना व तहसील नवाबगंज जिला बरेली के गाटा सं0 459 रकवा 0.127हे0, गाटा सं0 460 रकवा 0.127हे0, गाटा सं0 461 रकवा 0.126हे0, गाटा सं0 462 रकवा 0.383हे0 एवं गाटा सं0 463मि0 रकवा 0.126हे0 कुल 5 किता रकवा 0.889हे0 हे0 भूमि अकृषित घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित की गई है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नवाबगंज की आख्यानुसार राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि के कुल मूल्यांकन की 1 प्रतिशत धनराशि 39337/– रू0 दिनांक 15.02.2018 को भारतीय स्टेट बैंक नवाबगंज में जमा की जा चुकी है। जिसका चालान पत्रावली में संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलाकन किया पत्रावली में उपलब्ध ग्राम खाईखेड़ा तहसील नवाबगंज जिला बरेली की गाटा सं0 459 रकवा 0.127 हे0, गाटा 460 रकवा 0.127 हे0 गाटा सं0 461 रकवा 0.126 हे0, गाटा सं0 462 रकवा 0.383 हे0 एवं गाटा सं0 463 मि0 रकवा 0.126हे0 कुल 5 किता रकवा 0.889हे0 में कृतिका चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष कृष्णपाल गंगवार पुत्र छेदा लाल गंगवार का नाम दर्ज है तथा तहसीलदार की आख्यानुसार प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के कुल

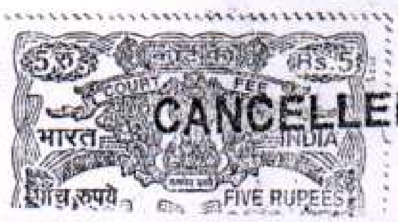

Kritika Charitable Trust
Chairman

KRITIKA PHARMACY COLLEGE
PRINCIPAL
BAREILLY

मूल्याकन का 1 प्रतिशत धनराशि 39337/– रू0 दिनांक 15.02.2018 को भारतीय स्टेट बैंक नवाबगंज में जमा की जा चुकी है। जिसके चालान की मूल प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है तथा पत्रावली में उद्धरण खतौनी भी उपलब्ध है। श्री कृष्णपाल गंगवार पुत्र छेदा लाल गंगवार नि0 बढैपुरा निकट खोह एवं करन सिंह व राजेश सिह व अजयपाल व दीपक सिह पुत्रगण सियाराम व श्रीमती प्रेमवती पत्नी सियाराम निवासीगण भटपुरा जागीर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बरेली द्वारा शपथ प्रत्र भी प्रस्तुत किये गये है। जो संलग्न पत्रावली है। अतः उपरोक्त के आधार पर उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत उक्त आराजी को अकृषक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

तहसीलदार नवाबगंज की जॉच आख्या दिनांक 12.02.2018 के आधार पर ग्राम खाईखेडा परगना व तहसील नवाबगंज के गाटा सं0 459 रकवा 0.127हे0, गाटा सं0 460 रकवा 0.127हे0, गाटा सं0 461 रकवा 0.126हे0, गाटा सं0 462 रकवा 0.383हे0 एवं गाटा सं0 463मि0 रकवा 0.126हे0 कुल 5 किता रकवा 0.889हे0 हे0 प्रार्थी कृष्णपाल गंगवार पुत्र छेदी लाल गंगवार नि0 बढैपुरा निकट खोह परगना व तहसील नवाबगंज जिला बरेली उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत बागवानी, कुक्कुट एवं मछली से असंबद्ध अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 19.02.2018

ह0 अपठित

(कुँवर पंकज)
उपजिलाधिकारी,
नवाबगंज,बरेली।

श्री त्रिवेन्द्र कुमार
513
19-2-18
19-2-18
19-2-18
200
14

सत्य प्रतिलिपि
19-02-18
कार्यालय उप-जिलाधिकारी

KRITIKA PHARMACY COLLEGE
PRINCIPAL
BAREILLY

CANCELLED

Kritika Charitable Trust
Chairman
Khai Kheda (Bareilly)

CANCELLED

LED

CAN

दाखिल नकल

न्यायालय उपजिलाधिकारी नवाबगंज – जिला बरेली।

वाद सं0 टी 2017121311041516/ उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत

कृष्ण पाल .वनाम उ0 प्र0 सरकार

ग्राम–खाईखेड़ा परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बरेली।

निर्णय

प्रस्तुत वाद, श्री कृष्ण पाल पुत्र श्री छेदा लाल वालिग एंव स्मृति गंगवार पत्नी श्री कृष्ण पाल गंगवार पुत्री श्री राजेन्द बहादुर गंगवार वालिग निवासीगण हाल कोपल अस्पताल पीलीभीत वाईपास सुरेश शर्मा नगर बरेली के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.17 पर योजित किया गया है, जिसमे उन्होंने कहा है कि ग्राम खाईखेड़ा के खाता सख्या 37 के गाटा सख्या 468 रकवा 1.1370है0 सक0 भूमिधर के रूपमें पति पत्नि आधे आधे भाग के मालिक हैं जिसका रकवा 0.1370है0 को धारा 143 के अंतर्गत दिनांक 29.05.14 को अकृषिक भूमि घोषित किया जा चुका है एंव शेष बचे रकवा को भी कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नवाबगंज से आख्या मांगी गयी। तहसीलदार नवाबगंज की जांच आख्यां दिनांक 07.06.17 प्राप्त हुई, जिसमें उन्होने कहा है कि ग्राम खाईखेड़ा परगना व तहसील नवाबगंज जिला बरेली के गाटा सं0 468 रकवा 1.137है0 में से रकवा 0.7552है0 भूमि पर मकान निर्माणीन है वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

मने प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता की वहस को सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम खाईखेडा की खतौनी 1419–1424फ0 के खाता सख्या 37 के गाटा सख्या 468 रकवा 1.1370है0 पर प्रार्थीगण कृष्णपाल गंगवार पुत्र स्व0 छेदा लाल गंगवार व स्मृति गंगवार पुत्री राजेन्द्र बहादुर गंगवार नि0 ग्राम वढेपुरा निकट खोह तहसील नवाबगंज जिला बरेली का नाम दर्ज है, तथा पत्रावली में स्थलीय फोटो, खसरा 1424फ0, जो0 चक0 आकार पत्र 45 उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नवाबगंज की आख्यानुसार दिनांक 16 मई 2017 को भा0 स्टेट बैंक शाखा सिविल लाइंस बरेली में मालियत की एक प्रतिशत धनराशि 139860.00 रूपये जमा कर चालान की प्रति दाखिल की है। अतएव उपरोक्त के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत उक्त आराजी को अकृषिक घोषित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

तहसीलदार नवाबगंज की जांच आख्या दिनांक 07.06.17 के आधार पर ग्राम खाईखेडा तहसील नवाबगंज के गाटा सख्या 468 रकवा 1.1370है0 में से शेष रकवा रकवा 0.7552है0 को, कृष्णपाल गंगवार पुत्र स्व0 छेदा लाल गंगवार व स्मृति गंगवार पुत्री राजेन्द्र बहादुर गंगवार नि0 ग्राम वढेपुरा निकट खोह तहसील नवाबगंज जिला बरेली का नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत बागवानी, कुक्कुट एंव मछली पालन से असंबद्ध अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

ह0 अपठित
(राम अक्षयवर चौहान)
उपजिलाधिकारी, नवाबगंज

कृष्ण पाल
दखास्त नं0 498
दिनांक 5-12-17
नोटिस बोर्ड पर 6-12-17
नकल नवीस
नकल सदाल देने का 6-12-17
शब्द 142
फीस 7=00

सत्य प्रतिलिपि
दिनांक 06/12/17

Kritika Charitable Trust Chairman Khai Kheda (Bareilly)

KRITIKA PHARMACY COLLEGE PRINCIPAL BAREILLY